

प्राचार्य का कार्यालय, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय।
ज्ञापांक- 1126 / लहेरियासराय, दिनांक- 02.03.24

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत निविदा का नियम एवं शर्तें

1-निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त होनी चाहिए। 21वें दिन छुट्टी रहने पर उसके अगले दिन डाक विभाग से 21 वें दिन तक को प्राप्त निविदा को ली जायेगी। उपर्युक्त दिए गए अवधि के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा, और ना ही इस संबंध में कोई पत्राचार ही मान्य होगा। डाक विभाग में हुई देरी के लिए अंतिम तिथि में कोई छूट नहीं दी जायेगी। निविदा प्रथम प्रकाशन की तिथि से ही मान्य होगा।

2-निविदा दो प्रकार की होगी। पहला-(क) तकनीकी निविदा, जिसमें मशीनों/सामानों की सूची, मेक, गुणवत्ता, मॉडल, स्पेशिफिकेशन, कैंटलॉग, अधिष्ठान, अधिकृत विक्रेता प्रमाण-पत्र आदि से संबंधित कागजात तथा मशीनों के आवश्यकतानुसार टर्न-की के तहत आने वाली कार्यों का उल्लेख भी करना होगा। दूसरा (ख) वित्तीय निविदा होगा, जिसमें सामानों/कार्यों का दर कर सहित एवं कर रहित अंकित हो कों अलग-अलग मुँहरबंद लिफाफे में दोनों निविदा पर बड़े-बड़े अक्षरों में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा टंकित कर पुनः एक बड़े लिफाफे में भरकर सील बंद कर पी0आर0 नं0 लिखते हुए उस पर जिन सामानों का निविदा हो (कडिका-3 के अनुसार) अलग-अलग उसका नाम अंकित कर प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय-846003, के पदनाम से निबंधित डाक/स्पीडपोस्ट द्वारा भेजी जाय। (तकनिकि निविदा एवं वित्तीय निविदा के मुँहरबंद लिफाफे में Hard copy एवं Soft Copy(CD/DVD/Pendrive) संलग्न करना अनिवार्य होगा)।

3-निविदा दाताओं को निविदा के साथ निम्नलिखित सामानों/कार्यों के सामने अंकित अग्रधन के रूप में अंकित राशि किसी भी राष्ट्रीय बैंक/डाक घर का बैंक ड्राफ्ट अथवा एन0एस0सी0 (जिसका सत्यापन अंकित स्थानीय स्तर से हो सके) जो प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय के पदनाम से भुगतये हो संलग्न करना अनिवार्य है। दर अनुमोदित होने पर अग्रधन की राशि सामानों के गारंटी/वारंटी/Performance security मिलने तक वापस नहीं किया जायेगा।

I- मशीन उपकरण एवं उन्नयन कार्यों के लिये अग्रधन की राशि

- 1,00,000/-

II- उपस्कर-लकड़ी एवं स्टील, दवा रसायन, किट, ग्लासवेयर रिएजेन्ट, विविध सामग्री स्टेशनरी, विद्युत, खेल सामग्री, जिम्नाजियम सामग्री, लकड़ी एवं स्टील उपस्कर की मरम्मती एवं रंगाई, मशीनों की मरम्मति, ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 (मशीन उपकरणों का वार्षिक रख-रखाव) प्रीटिंग एवं पेंटींग, इत्यादि की आपूर्ति के लिए अग्रधन की राशि -50,000/-

4- कडिक 3(तीन) के क0 सं0 I एवं II में अंकित सामानों/कार्यों के लिए अलग-अलग निविदा करना होगा तथा प्रत्येक टंकित निविदा प्रपत्र दो अलग-अलग मुँहरबंद लिफाफों में होगी, जिसमें एक पर तकनीकी निविदा (लिफाफा- (क) एवं दूसरे पर वित्तीय निविदा (लिफाफा-(ख)) अंकित होगा। दोनों लिफाफों को एक तीसरे बड़े लिफाफों में मुँहरबंद कर उसके उपर क0 सं0 I से संबंधित सामानों /कार्यों के निविदा, क0 सं0 II से संबंधित सामानों/कार्यों के निविदा में उल्लेख करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा। निविदादाता को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस संस्थान के वेबसाईट पर अंकित निविदा सूची (सामानों/कार्यों का) में अंकित विभिन्न सामानों/कार्यों जिस कमवार में टंकित है उसी क्रमानुसार सामानों/कार्यों का उल्लेख अपने तकनिकी एवं वित्तीय निविदा में अंकित करना अनिवार्य होगा।

5- नोटरी पब्लिक द्वारा फर्म को यह शपथ-पत्र समर्पित करना होगा कि उनके फर्म को काली सूची में नहीं डाला गया है अथवा काली सूची में डालने की प्रक्रिया नहीं चल रही है तथा उस पर कोई कानूनी कारवाई नहीं चल रहा है।

6-तकनीकी निविदा के तहत सामानों का तकनीकी विवरण आई0एस0आई0/आई0एस0ओ0 के द्वारा प्रमाण पत्र, पेन नम्बर कार्ड, निबंधन प्रमाण-पत्र, GST निबंधन प्रमाण-पत्र एवं किस कार्य के लिए निबंधित है की स्पष्ट छाया प्रति जो स्व अभिप्रमाणित हो संलग्न करना अनिवार्य है। निविदादाताओं के निर्माता/ अधिकृत विक्रेता एवं प्राधिकृत वितरक यदि है का प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। जिन निविदादाता/आपूर्तिकार्ता के मशीनों/सामानों के निश्चित अवधि तक के लिये सफल संचालन हेतु एकरारनामा करना होगा। तकनिकी निविदा के प्रथम पृष्ठ पर दिये गये सामानों की सूची (इन्डेक्स) आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से निविदा सूची के कमवार तकनिकी विवरण अंकित होना चाहिए कि वे किन-किन कार्यों हेतु निविदा दे रहे हैं एवं इस निविदा में अंकित सामानों का पृष्ठ संख्या क्या है।

21/6

(Handwritten signature)

7- निविदा में किसी प्रकार का मात्र छुट अंकित न कर छुट सहित दर अंकित करें।

8- निविदादाताओं को प्रत्येक सामानों/कार्यों का बाजार दर तथा उसमें लगने वाले एसेसिरीज का दर, अधिष्ठापन का दर तथा अन्य दर को वित्तीय निविदा में सामानों/कार्यों के सामने अलग-अलग उल्लेख करना अनिवार्य होगा। मशीनों/सामानों का मूल्य ऑनलाईन मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9- सभी निविदा कम्प्युटर टंकित होनी चाहिए। किसी प्रकार का काट-कुट या लीप लेपन होने पर निविदा स्वतः रद्द समझा जायेगा। सभी निविदादाता अपने-अपने निविदा में अपने एजेन्सी/फर्म का ई-मेल निश्चित रूप से अंकित करें। जिससे कि किसी भी प्रकार का सूचना ई-मेल के माध्यम से दिया जा सके।

10- निविदा खोलने की तिथि को निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रह सकते हैं। इसकी सूचना कॉलेज के सूचनापट एवं वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा बैठक में भाग नहीं लेने वाले को बाद में किसी भी प्रकार का कोई शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का सूचना दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय के Website www.dmc.edu.in अथवा नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है, तथा वेबसाइट पर प्रकाशित सूची को डाउनलोड कर उसके क्रमानुसार निविदा किया जा सकता है अथवा किसी भी कार्य दिवस के दिन निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर निविदा सूची, नियम एवं शर्त कार्यालय में आवेदन देकर प्राप्त किया जा सकता है।

11- बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठानों या लघु उद्योग विभाग से निबंधित चालू इकाईयों, उत्पादनरत् को नियमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी। बिहार में उद्योग ईकाई के रूप में निबंधित फर्मों को संबंधित उद्योग पदाधिकारी से चालू इकाई/उत्पादनरत् का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसकी स्पष्ट स्वअभिप्रेमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा, अन्यथा उनके निविदा को सामान्य निविदा समझा जायेगा।

12- सरकारी प्रावधानों/नियमों के अनुसार अग्रधन की राशि में छुट दी जा सकती है। निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में निविदा दाताओं को अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी, जिसके लिए उन्हें निबंधित डाक टिकट लगा सेल्फ एडरेस लिफाफा संलग्न करना होगा।

13- निविदा दाता अपने वित्तीय निविदा में सामानों का दर टैक्स सहित एवं टैक्स रहित स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे, दोनों दर अंकित नहीं रहने पर निविदा स्वतः रद्द समझी जायेगी।

14- जिन आपूर्तिकर्ता द्वारा सामानों की आपूर्ति करने में बाधा पहुँचायी जायेगी या समय पर आपूर्ति करने में वे विफल रहेंगे, उनकी अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी तथा उसे ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जायेगी। किसी भी सामानों/मशीन के मरम्मत उपरांत उसका एक वर्ष का गारंटी देना अनिवार्य होगा। यदि एक वर्ष के अन्दर में मरम्मत किये गये मशीन में खराबी आती है तो आपूर्तिकर्ता को निशुल्क उस मशीन का पुनः मरम्मत करना पड़ेगा, अन्यथा उनका अग्रधन कि राशी जप्त करते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

15- मशीन/उपकरण, अपग्रेडेशन आदि की आपूर्ति/अधिष्ठापन संबंधित विभागों में करनी होगी। आपूर्तिकर्ता द्वारा मशीन/उपकरणों या अपग्रेडेशन का कार्य/ आपूर्ति/ अधिष्ठापन निर्धारित विभाग/स्थान में कर उसका प्रदर्शन/प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था संबंधित विभागाध्यक्ष के समक्ष करना होगा। इसके लिए अलग से कोई राशि नहीं दी जायेगी। संबंधित विभाग द्वारा मशीन/ उपकरण/ अपग्रेडेशन का कार्य/ स्थापना संतोषप्रद कार्य करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही विपत्रों के भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी। निविदादाता को स्वीकृत सामानों/कार्यों का नमूना या कैंडलॉग एवं अन्य आवश्यकतानुसार छोटी मशीन एवं अन्य सामग्री मांग करने पर निरीक्षण हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।

16- किसी भी प्रकार के अपग्रेडेशन कार्य के मापी विवरण पर पी0डब्लू0डी0 विभाग/रजिस्टर्ड इंजिनियर के द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र एवं संतोषप्रद कार्य प्रमाण-पत्र मिलने के उपरांत सक्षम प्राधिकार/संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा संतोषजनक प्रमाण-पत्र मिलने के उपरांत ही भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी।

17- आपूर्तिकर्ता को मानक कम्पनी का दर/डी0जी0एस0 एण्ड डी0 का दर यदि उपलब्ध हो तो रेट का उल्लेख अपने निविदा में करना होगा। मशीन, सामग्री आदि का मूल्य किसी भी परिस्थिति में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिलिंग मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही निविदादाता को इस आशय का घोषणा पत्र (नोटरी पब्लिक द्वारा) मूल रूप में देना होगा कि निविदा में अंकित दर केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिलिंग मूल्य के अन्तर्गत है।





18- पाँच लाख से उपर के लागत वाले मशीन उपकरणों का क्रय सरकार के आदेश होने के उपरांत ही क्रय आदेश निर्गत किया जायेगा।

19- नियमानुसार जिन निविदादाताओं का तकनीकी निविदा क्रय समिति द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, उन्हीं निविदादाताओं का वित्तीय निविदा खोला जायेगा। जिन निविदादाताओं का जिन सामानों/कार्यों का स्पेसीफिकेशन, गुणवत्ता आदि के आधार पर तकनीकी निविदा क्रय समिति द्वारा, स्वीकृत किया जायेगा, उन्हीं सामानों/कार्यों का वित्तीय तुलनात्मक विवरणी तैयार किया जायेगा, जिन सामानों/कार्यों का क्रय समिति द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत नहीं किया जायेगा उन सामानों/कार्यों का वित्तीय तुलनात्मक विवरणी तैयार नहीं किया जायेगा। जिन निविदादाताओं का तकनीकी निविदा क्रय समिति द्वारा अस्वीकृत किया जायेगा उन निविदादाताओं का निविदा स्वतः रद्द समझा जायेगा तथा तकनीकी रूप से अस्वीकृत निविदादाताओं का किसी प्रकार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

20- जिन आपूर्तिकर्ता द्वारा पूर्व में कार्य असंतोषप्रद रहा हो उन आपूर्तिकर्ताओं का निविदा अस्वीकार किया जायेगा। जिन आपूर्तिकर्ताओं का कार्य पूर्व में असंतोषप्रद रहा हो, उनके द्वारा दूसरे फर्म एजेन्सी के नाम से निविदा डालने पर भी निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

21- एक लाख तक के मशीन/उपकरण की एक वर्ष की गारंटी अनिवार्य होगी तथा चार वर्षों का वार्षिक रख-रखाव (ए0एम0सी0/सी0एम0सी0) करना होगा। चार वर्षों के लिए उक्त मशीन उपकरणों का वार्षिक रख-रखाव (ए0एम0सी0/सी0एम0सी0) का प्रतिवर्ष का दर प्रतिषत को वित्तीय निविदा में उल्लेख करना होगा। साथ ही साथ सफल संचालन हेतु एकरारनामा करना होगा। वारंटी/ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 की अवधि की गणना मशीन उपकरण आदि के संतोषप्रद अधिष्ठापन की तिथि से मान्य होगा।

22- एक लाख से उपर वाली मशीन/उपकरण/उन्नयन कार्य के लिए तीन वर्षों का कम्प्रीहेसिव वारंटी अनिवार्य होगा तथा पाँच वर्षों का वार्षिक रख-रखाव (ए0एम0सी0/सी0एम0सी0) करना होगा। पाँच वर्षों के लिए उक्त मशीन उपकरणों/उन्नयन कार्यों का वार्षिक रख-रखाव (ए0एम0सी0/सी0एम0सी0) का प्रतिवर्ष का दर प्रतिषत को वित्तीय निविदा में उल्लेख करना होगा। साथ ही साथ सफल संचालन हेतु एकरारनामा करना होगा। वारंटी/ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 की अवधि की गणना मशीन उपकरण आदि के संतोषप्रद अधिष्ठापन की तिथि से मान्य होगा।

कडिका-21 एवं 22 में वर्णित सभी मशीन उपकरणों/उन्नयन कार्यों की गारंटी/वारंटी अवधि समाप्त होने के उपरांत किये गये ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 के लिए अग्रिम भुगतान की प्रक्रिया बिहार सरकार, वित्त विभाग, बिहार, पटना के वित्त नियमावली-2005 के अनुसार किया जायेगा। ए0एम0सी0/सी0एम0सी0(वार्षिक रख-रखाव) का भुगतान संबंधित विभागों से मशीनों के संतोषप्रद संचालन एवं कार्यरत संबंधि प्रमाण-पत्र समर्पित करने एवं आवंटन उपलब्ध रहने के उपरांत ही भुगतान की जायेगी। आवंटन के अभाव में भुगतान में हुये देरी के लिए अलग से कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। इस संबंधी बिहार सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत आदेश प्रभावी होगा।

23- एक लाख से उपर वाली मशीन के क्रय आदेश के मूल्य का 5 प्रतिषत किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से गारंटी बतौर जमानत आपूर्तिकर्ता को 15 दिनों के अन्दर देना होगा। उक्त बैंक गारंटी (Comprehensive) वारंटी की अवधि तक के लिए वैलिड(Valid) होना चाहिए, उसके बाद ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 अवधि के लिए उसका अवधि विस्तार नियमतः करना होगा। वारंटी की अवधि में आपूर्तिकर्ता द्वारा लगाये गये मशीन में खराबी होने की सूचना दिये जाने के सात दिनों के अन्दर मशीन का मरम्मत करवाना होगा, अन्यथा वारंटी की अवधि स्वतः बढ़ जायेगी साथ ही नियमनुसार कार्यवाही की जायेगी एवं जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।

24- आपूर्तिकर्ता को एक लाख से उपर वाले मशीन/उपकरण (बड़े मशीन)/उन्नयन कार्य आदि का अधिष्ठापन टर्न-की वेसीस पर करना होगा। अधिष्ठापन हेतु सिर्फ जगह (मकान/कमरा) आवश्यकतानुसार एवं विधुत आपूर्ति व्यवस्था संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

25- मशीन उपकरणों यथा ए0सी0, कम्प्युटर, प्रिंटर, वाटरकुलर, वाटरप्युरीफाई मशीन, सी0सी0टी0भी0, ऑडियोभिजूयल एड्स, स्मार्ट क्लासेज से संबंधित मशीन उपकरणों Networking, Website आदि के ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 (वार्षिक रख-रखाव) हेतु निविदा करने से पूर्व निविदादाताओं को अपने स्तर से विभागों, छात्रावासों का सर्वेक्षण/निरीक्षण कर उसमें स्थापित उक्त मशीन उपकरणों के मेक, मॉडल निर्माण का वर्ष, स्थापना का वर्ष के अनुसार निविदा देना होगा, इसके लिए अलग से ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 निविदा सूची में मशीन उपकरणों का उक्त विवरणी नहीं दिया जायेगा। मशीन उपकरणों का वार्षिक रख-रखाव का निविदा पार्ट्स सहित देना होगा। स्वीकृत निविदादाताओं को संतोषप्रद कार्य होने संबंधि

21/11

21/11

लेना होगा। चयनित निविदाताओं ससमय मशीन ठीक नहीं होने की स्थिति नियमानुसार कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जमानत की राशि जप्त कर दी जायेगी ।

26- विपत्र का भुगतान आवंटन उपलब्ध रहने के आधार पर नियमतः श्रोत पर इन्कम टैक्स, जी0एस0टी0 आदि कटौती करने के बाद CFMS/Cheque/bank draft के माध्यम से किया जायेगा।

27- भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जी0एस0टी0/अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

28- अधोहस्ताक्षरी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा का रद्द अथवा अस्वीकृत कर सकता है साथ ही निविदा की तिथि में परिवर्तन कर सकते है।

29-किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र जिला स्तर पर माननीय दरभंगा न्यायालय एवं राज्य स्तर पर माननीय पटना उच्च न्यायालय होगा।

ह०/-

प्राचार्य

दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय
लहेरियासराय।

ज्ञापांक-

1126

/लहेरियासराय,दिनांक-

02.03.24

प्रतिलिपि:- आयुक्त दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/महाप्रबंधक, जिला उद्योग ईकाई, दरभंगा/जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा/अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यालय के लेखा शाखा, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

एक प्रति कार्यालय के सूचना पट एवं वेबसाइट- Website [www. dmc.edu.in](http://www.dmc.edu.in) पर देने हेतु

[Signature]
प्राचार्य

दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय
लहेरियासराय।
21/6
02/03/24